रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/99

REGISTERED NO. D. L.—33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 20, 2001/आश्विन 28, 1923
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 20, 2001/ASVINA 28, 1923

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2001

सा.का.नि. 578.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम रायफल्स, गृह मंत्रालय में ज्येष्ठ हिन्दी अधिकारी (समूह 'क') के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम रायफल्स, ज्येष्ठ हिन्दी अधिकारी (समूह 'क') भर्ती नियम, 2001 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. आरंभिक गठन : ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पूर्व ज्येष्ठ हिन्दी अधिकारी का पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के अधीन नियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे प्रकाशन से पूर्व उनके द्वारा की गई सेवा उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उनकी अर्हता के अवधारण के लिए संगणित की जाएंगी ।

12
(Peiod of deputation including pericd of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

[F. No. A-12018/10/98-EA]
SUKUMAR, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2001

सा.का.नि. 583.— भारत के राजपत्र भाग–II, खण्ड–3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की दिनांक 10 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना से. सा.का.नि. 234 में :—

(1) नियम–1 के उप नियम (1) में लघु शीर्षक वर्ष "2000" के स्थान पर "2001" पढ़ा जाए ।

(2) अनुसूची में कॉलम–2 में "34 (2000)" के स्थान पर "34 (2001)" पढ़ें ।

[फा.सं.ए–12018/1/94–प्रशा. I/एफ (एस)]
पी.के. बनर्जी, डैस्क अधिकारी एफ(एस)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th September, 2001

G.S.R. 583.—In the Notification of the Government of India, Ministry of Information and Broadcasting number G.S.R. 234 dated the 10th April, 2001 published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-Section (i),—

(i) in sub-rule (1) of rule 1, for the year in the Short title "2000", read "2001";

(ii) in the Schedule, in column 2, for "34 (2000)", read "34 (2001)".

[F. No. A-12018/1/94-Admn. I/F (S)]
P.K. BANERJEE, Desk Officer F(S)

श्रम मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2001

सा.का.नि. 584.—केन्द्रीय सरकार शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 979 तारीख 21 जुलाई, 1975, सा.का.नि. 466 तारीख 6 मार्च, 1976, का.आ. 2848 तारीख 29 दिसंबर, 1983, सा.का.नि. 86 तारीख 20 जनवरी, 1987 और सा.का.नि. 764 तारीख 22 सितम्बर, 1987 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 में उल्लिखित अधिकारियों को केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार को, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए अनुसूची के स्तंभ 3 में दर्शित पदनाम के अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

(क) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक का मुख्यालय, श्रम मंत्रालय (नई दिल्ली)

क्र.सं.	धारित पद	नियुक्ति पर पदनाम
1	2	3
1.	संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता संयुक्त सलाहकार
2.	उप निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार
3.	सहायक निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहकार
4.	प्रशिक्षण अधिकारी	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहकार (कनिष्ठ)

(ख) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण प्रादेशिक निदेशालय

1. शिक्षुता प्रशिक्षण प्रादेशिक निदेशालय, कोलकाता

1	2	3
1.	प्रादेशिक निदेशक	केन्द्रीय शिक्षुता प्रादेशिक सलाहकार
2.	उप निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार (प्रादेशिक)
3.	सहायक निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहकार (प्रादेशिक)
4.	प्रशिक्षण अधिकारी	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहकार (प्रादेशिक) (कनिष्ठ)

2. शिक्षुता प्रशिक्षण प्रादेशिक निदेशालय, चेन्नई

1	2	3
1.	प्रादेशिक निदेशक	केन्द्रीय शिक्षुता प्रादेशिक सलाहकार
2.	उप निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार (प्रादेशिक)
3.	सहायक निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहकार (प्रादेशिक)
4.	प्रशिक्षण अधिकारी	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहकार (प्रादेशिक) (कनिष्ठ)

3. शिक्षुता प्रशिक्षण प्रादेशिक निदेशालय, फरीदाबाद

1	2	3
1.	प्रादेशिक निदेशक	केन्द्रीय शिक्षुता प्रादेशिक सलाहकार
2.	उप निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार (प्रादेशिक)
3.	सहायक निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहकार (प्रादेशिक)
4.	प्रशिक्षण अधिकारी	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहकार (प्रादेशिक) (कनिष्ठ)

4. शिक्षुता प्रशिक्षण प्रादेशिक निदेशालय, हैदराबाद

1	2	3
1.	प्रादेशिक निदेशक	केन्द्रीय शिक्षुता प्रादेशिक सलाहकार
2.	उप निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार (प्रादेशिक)
3.	सहायक निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहकार (प्रादेशिक)
4.	प्रशिक्षण अधिकारी	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहकार (प्रादेशिक) (कनिष्ठ)

5. शिक्षुता प्रशिक्षण प्रादेशिक निदेशालय, कानपुर

1	2	3
1.	प्रादेशिक निदेशक	केन्द्रीय शिक्षुता प्रादेशिक सलाहकार
2.	उप निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार (प्रादेशिक)
3.	सहायक निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहकार (प्रादेशिक)
4.	प्रशिक्षण अधिकारी	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहकार (प्रादेशिक) (कनिष्ठ)

6. शिक्षुता प्रशिक्षण प्रादेशिक निदेशालय, मुम्बई

1	2	3
1.	प्रादेशिक निदेशक	केन्द्रीय शिक्षुता प्रादेशिक सलाहकार
2.	उप निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार (प्रादेशिक)
3.	सहायक निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहकार (प्रादेशिक)
4.	प्रशिक्षण अधिकारी	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहकार (प्रादेशिक) (कनिष्ठ)

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग नई दिल्ली।

1	2	3
1.	शिक्षुता अपर सलाहकार	केन्द्रीय शिक्षुता अपर सलाहकार

(घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड।

I. शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता ।

1	2	3
1.	निदेशक	केन्द्रीय शिक्षुता प्रादेशिक सलाहकार
2.	उप निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार (प्रादेशिक)

II. शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई

1	2	3
1.	निदेशक	केन्द्रीय शिक्षुता प्रादेशिक सलाहकार
2.	उप निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार (प्रादेशिक)

III. शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर

1	2	3
1.	निदेशक	केन्द्रीय शिक्षुता प्रादेशिक सलाहकार
2.	उप निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार (प्रादेशिक)

IV. शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई

1	2	3
1.	निदेशक	केन्द्रीय शिक्षुता प्रादेशिक सलाहकार
2.	उप निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार (प्रादेशिक)

[सं. डी.जी.ई.टी.-8(1)/97-एपी]

एन. लंका, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

(Directorate General of Employment and Training)

New Delhi, the 8th October, 2001

G.S.R. 584.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 27 of the Apperentices Act, 1961 (52 of 1961) and in supersession of the notifications of the Government of India, in the Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour No. G.S.R. 979 dated 21st July, 1975, G.S.R. 466 dated the 6th March, 1976, S.O. 2848 dated the 29th December, 1983, G.S.R. 86 dated the 20th January, 1987 and G.S.R. 764 dated the 22nd September, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government, hereby appoints the officers, mentioned in column 2 of the schedule annexed hereto, as officers with designations shown in column 3 thereof to assist the Central Apprenticeship Adviser in the peroformance of his functions namely :

SCHEDULE

(A) Headquarters of the Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour (New Delhi).

Serial Number	Post held	Appointed as
1	2	3
1.	Joint Director of Training	Joint Central Apprenticeship Adviser.
2.	Deputy Director of Training	Deputy Central Apprenticeship Adviser
3.	Assistant Director of Training	Assistant Central Apprenticeship Adviser
4.	Training Officer	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Junior)

(B) Regional Directorate of Apprenticeship Training under Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour.

I. Regional Directorate of Apprenticeship Training, Kolkata.

1	2	3
1.	Regional Director	Regional Central Apprenticeship Adviser
2.	Deputy Director of Training	Deputy Central Apprenticeship Adviser (Regional)
3.	Assistant Director of Training	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional).
4.	Training Officer	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional) (Junior)

II. Regional Directorate of Apprenticeship Training, Chennai.

1	2	3
1.	Regional Director	Regional Central Apprenticeship Adviser
2.	Deputy Director of Training	Deputy Central Apprenticeship Adviser (Regional)

1	2	3
3.	Assistant Director of Training	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional)
4.	Training Officer	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional) (Junior)

III. Regional Directorate of Apprenticeship Training, Faridabad

1	2	3
1.	Regional Director	Regional Central Apprenticeship Adviser
2.	Deputy Director of Training	Deputy Central Apprenticeship Adviser (Regional)
3.	Assistant Director of Training	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional)
4.	Training Officer	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional) (Junior)

IV. Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad.

1	2	3
1.	Regional Director	Regional Central Apprenticeship Adviser
2.	Deputy Director of Training	Deputy Central Apprenticeship Adviser (Regional)
3.	Assistant Director of Training	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional)
4.	Training Officer	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional) (Junior)

V. Regional Directorate of Apprenticeship Training, Kanpur

1	2	3
1.	Regional Director	Regional Central Apprenticeship Adviser
2.	Deputy Director of Training	Deputy Central Apprenticeship Adviser (Regional)

1	2	3
3.	Assistant Director of Training	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional)
4.	Training Officer	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional) (Junior)

VI. Regional Directorate of Apprenticeship Training, Mumbai.

1	2	3
1.	Regional Director	Regional Central Apprenticeship Adviser
2.	Deputy Director of Training	Deputy Central Apprenticeship Adviser (Regional)
3	Assistant Director of Training	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional)
4.	Training Officer	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional) (Junior)

(C) Department of Secondary Education and Higher Education in the Ministry of Human Resource Development, New Delhi.

1	2	3
1.	Additional Apprenticeship Adviser	Additional Central Apprenticeship Adviser

(D) Boards of Apprenticeship Training under Department of Secondary Education and Higher Education in the Ministry of Human Resource Development

I. Board of Apprenticeship Training, Kolkata.

1	2	3
1.	Director	Regional Central Apprenticeship Adviser
2.	Deputy Director of Training	Deputy Central Apprenticeship Adviser (Regional)

II. Board of Apprenticeship Training, Chennai.

1	2	3
1.	Director	Regional Central Apprenticeship Adviser
2.	Deputy Director of Training	Deputy Central Apprenticeship Adviser (Regional)

III. Board of Apprenticeship Training, Kanpur.

1	2	3
1.	Director	Regional Central Apprenticeship Adviser
2.	Deputy Director of Training	Deputy Central Apprenticeship Adviser (Regional)

IV. Board of Apprenticeship Training, Mumbai.

1	2	3
1.	Director	Regional Central Apprenticeship Adviser
2.	Deputy Director of Training	Deputy Central Apprenticeship Adviser (Regional)

[No. DGET-8(1)/97-AP]

N. LANKA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 2001